महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 591
दिनांक: 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री रणजीत सिंह कालेज ऑफ एजूकेशन विधि,
रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री रणजीत सिंह कालेज ऑफ एजूकेशन विधि, रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 653
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा बैजनाथ जी लॉ कालेज,
गोधपुर किशुनदासपुर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **बाबा बैजनाथ जी लॉ कालेज, गोधपुर किशुनदासपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षो में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 624
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेण्ट जेवियर्स लॉ कालेज,
मेंहनाजपुर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **सेण्ट जेवियर्स लॉ कालेज, मेंहनाजपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत** एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/650
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
पं0 कन्हैया लाल मिश्र विधि महाविद्यालय,
डुमरी, मर्यादपुर, मऊ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में पं0 कन्हैया लाल मिश्र विधि महाविद्यालय, डुमरी, मर्यादपुर, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/649
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री के0एन0 सिंह विधि महाविद्यालय,
जीयनपुर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री के0एन0 सिंह विधि महाविद्यालय, जीयनपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगां कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/645
दिनांकः 28·06·2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
त्रिलोकी सिंह विधि महाविद्यालय,
रतुआपार, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में त्रिलोकी सिंह विधि महाविद्यालय, रतुआपार, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/644
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
ग्राम समाज विधि महाविद्यालय,
जयस्थली, बाबू की खजुरी, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में ग्राम समाज विधि महाविद्यालय, जयस्थली, बाबू की खजुरी, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/614
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
जयनाथ मेमोरियल लॉ कॉलेज,
हरईरामपुर, लालगंज, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में जयनाथ मेमोरियल लॉ कॉलेज, हरईरामपुर, लालगंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/613
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री दुर्गा जी लॉ कॉलेज,
क्यामपुर, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्री दुर्गा जी लॉ कॉलेज, क्यामपुर, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत** एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षो में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीटयूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/612
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
बी0बी0 राय मेमोरियल विधि महाविद्यालय,
खोर्रमपुर, बेलऊ, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बी0बी0 राय मेमोरियल विधि महाविद्यालय, खोर्रमपुर, बेलऊ, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षो में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 603
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू कामता सिंह महाविद्यालय,
लफिया, लालगंज, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बाबू कामता सिंह महाविद्यालय, लफिया, लालगंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, उर्दू, संस्कृत एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/642
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
आजमगढ़ महिला महाविद्यालय,
सुदनपुर, गौरापट्टी, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **आजमगढ़ महिला महाविद्यालय, सुदनपुर, गौरापट्टी, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/619
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
अनुपमा राय मेमोरियल कालेज आफ एजुकेशन,
हरईरामपुर, लालगंज, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **अनुपमा राय मेमोरियल कालेज आफ एजुकेशन, हरईरामपुर, लालगंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित तथा वाणिज्य संकाय में बी0कॉम0 विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदानं की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 656
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा बैजनाथ जी महाविद्यालय,
गोधपुर, किशुनदासपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **बाबा बैजनाथ जी महाविद्यालय, गोधपुर, किशुनदासपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में अतिरिक्त विषय माइक्रोबायलोजी एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत ड्राइंग एण्ड पेंटिंग (ललित कला), अर्थशास्त्र, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, विषयों / पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन / दो वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों / विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/632
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय,
आरिफपुर, आजमगढ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरिफपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/652
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
चौरी बेलहा महाविद्यालय,
तरवाँ, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान/ वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **चौरी बेलहा महाविद्यालय, तरवाँ, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान व विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य संकाय में बी0कॉम0 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा सु वि वि / सम्ब0 / 2023 / 609
दिनांक 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
भगवान आदर्श महाविद्यालय,
चक्रपाणिपुर, कनैला, आजमगढ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला / विज्ञान / वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **भगवान आदर्श महाविद्यालय, चक्रपाणिपुर, कनैला, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में एम0कॉम0 विषयों / पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों / विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र मे छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/611
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
ग्राम समाज महाविद्यालय,
जयस्थली, बाबू की खजूरी, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **ग्राम समाज महाविद्यालय, जयस्थली, बाबू की खजूरी, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/626
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
डी0ए0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर व्यवसायिक संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **डी0ए0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर व्यवसायिक संकाय में बी0बी0ए0 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत– अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/610
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
माँ हरिदासी स्मारक महिला महाविद्यालय,
छित्तेपुर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **माँ हरिदासी स्मारक महिला महाविद्यालय, छित्तेपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को. मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 597
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
भोला भगौती डिग्री कालेज,
द्वारिकापुर, मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **भोला भगौती डिग्री कालेज, द्वारिकापुर, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित व वनस्पति विज्ञान विषयों / पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/588
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरि ऊँ महाविद्यालय,
अतरैठ, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **हरि ऊँ महाविद्यालय, अतरैठ, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी सहित्य, संस्कृत विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/508
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरि ऊँ महाविद्यालय,
अतरैठ, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में हरि ऊँ महाविद्यालय, अतरैठ, आजमगढ़ **को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी सहित्य, संस्कृत विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 643
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
इन्दू महिला महाविद्यालय,
पुष्पनगर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में इन्दू महिला महाविद्यालय, पुष्पनगर, आजमगढ़ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, उर्दू, राजनीतिशास्त्र विषयों / पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 636
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
जे.पी.आर. गर्ल्स डिग्री कालेज,
सेठवल, रानी की सराय, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में जे.पी. आर. गर्ल्स डिग्री कालेज, सेठवल, रानी की सराय, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में भूगोल, गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय में प्राणि विज्ञान विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों / विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/649
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री के0एन0 सिंह विधि महाविद्यालय,
जीयनपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्री के0एन0 सिंह विधि महाविद्यालय, जीयनपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 640
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
जगपति महिला महाविद्यालय,
अमारी, गोपालपुर, मेंहनगर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **जगपति महिला महाविद्यालय, अमारी, गोपालपुर, मेंहनगर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल व गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र मे छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 637
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय,
बरोही, फत्तेहपुर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय, बरोही, फत्तेहपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विषयों / पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/651
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
महादेव रामसोच कृषक महाविद्यालय,
सिपाह इब्राहिमाबाद, मऊ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **महादेव रामसोच कृषक महाविद्यालय, सिपाह इब्राहिमाबाद, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी· को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/620
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
क्रान्ती महिला महाविद्यालय,
बैरमपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **क्रान्ती महिला महाविद्यालय, बैरमपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/600
दिनांकः 20.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
माँ बुद्धा नेशनल महाविद्यालय,.
निजामाबाद, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **माँ बुद्धा नेशनल महाविद्यालय, निजामाबाद, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अतिरिक्त विषय ड्राइंग एण्ड पेंन्टिग, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर **कार्यपरिषद** द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 604
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,
प्रबन्धक,
महर्षि बाबा लोदी दास महाविद्यालय,
खुरहट, मऊ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **महर्षि बाबा लोदी दास महाविद्यालय, खुरहट, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों / पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/627
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कालेज,
अलीनगर मुबारकपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषय में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कालेज, अलीनगर मुबारकपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अतिरिक्त विषय अरबी** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/617
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय,
अकबरपुर, बिलरियागंज, आजमगढ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय, अकबरपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय राजनीतिशास्त्र, उर्दू, शारीरिक शिक्षा एवं विज्ञान संकाय में कम्प्यूटर साइंस विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 601
दिनांक: 28.06.2023

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,
प्रबन्धक,
मिर्जा अहसानुल्लाह बेग निस्वाँ महिला महाविद्यालय,
अन्जानशैहीद, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में मिर्जा अहसानुल्लाह बेग निस्वाँ महिला महाविद्यालय, अन्जानशहीद, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, बनस्पति विज्ञान व गणित विषयों / पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/639
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
माँ मुराती बालिका महाविद्यालय,
बलरामपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **माँ मुराती बालिका महाविद्यालय, बलरामपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में भूगोल, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/647
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
अल परवेज गर्ल्स डिग्री कॉलेज,
अमिलो खास नगर पालिका मुबारकपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **अल परवेज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अमिलो खास नगर पालिका मुबारकपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान व भूगोल विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 628
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
पं0 नगीना स्मारक महाविद्यालय,
जोकहरा, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में पं0 नगीना स्मारक महाविद्यालय, जोकहरा, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत बी0एस0सी0 कृषि विषयों / पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी चार वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ।

पत्रांक: महा सु वि वि. / सम्ब0 / 2023 / 616
दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
पं0 पंचदेव उपाध्याय महाविद्यालय,
भवतर चक भवतर गम्भीरपुर, लालगंज, आजमगढ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में पं0 **पंचदेव उपाध्याय महाविद्यालय, भवतर चक भवतर गम्भीरपुर, लालगंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, हिन्दी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/595
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
राजदेव पानमती मल्ल महिला महाविद्यालय,
मखदुमपुर, लालनपुर, मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **राजदेव पानमती मल्ल महिला महाविद्यालय, मखदुमपुर, लालनपुर, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/634
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
पार्वती महिला पी0जी0 कालेज,
दोहरीघाट, मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान/वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **पार्वती महिला पी0जी0 कालेज, दोहरीघाट, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में बी0कॉम0 एवं विज्ञान संकाय में माइक्रोबायलोजी, कम्प्यूटर साइंस तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, राजनीतिशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/625
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
फूलचन्द्र ग्रामीण महिला महाविद्यालय,
नरहनखास, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **फूलचन्द्र ग्रामीण महिला पी0जी0 कालेज, नरहनखास, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में संस्कृत एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ।

पत्रांक. महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 596
दिनांक 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
बाबू परमानन्द राय स्मारक महाविद्यालय,
सेठवल, रानी की सराय, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बाबू परमानन्द राय स्मारक महाविद्यालय, सेठवल, रानी की सराय, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित व वनस्पति विज्ञान विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 590
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामबदन सिंह महिला महाविद्यालय,
रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में रामबदन सिंह महिला महाविद्यालय, रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, उर्दू, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित व वनस्पति विज्ञान विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/605
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
राजदेव कृषक महाविद्यालय,
काशीपुर, सुराई, सठियॉव, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में राजदेव **कृषक महाविद्यालय, काशीपुर, सुराई, सठियॉव, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, उर्दू विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र मे छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 606
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
रामधन दामोदर महाविद्यालय,
कसारा, मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में रामधन दामोदर महाविद्यालय, कसारा मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र विषयों / पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों / विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/654
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
साँई महाविद्यालय,
छत्तरपुर, अहिरौली, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **साँई महाविद्यालय, छत्तरपुर, अहिरौली, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 615
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामधारी स्मारक महाविद्यालय,
मीरपुर गोधना, मऊ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **रामधारी स्मारक महाविद्यालय, मीरपुर गोधना, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित व वनस्पति विज्ञान विषयों / पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समयें–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/638
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामसुन्दर पाण्डेय महाविद्यालय,
गजियापुर, मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम **रामसुन्दर पाण्डेय महाविद्यालय, गजियापुर, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में समाजशास्त्र व गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 599
दिनांकः 20.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
संजय महाविद्यालय,
उदियावां, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में संजय महाविद्यालय, उदियावां, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र विषयों / पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/657
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
सन शाइन गर्ल्स डिग्री कालेज,
पांती जैगहा, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **सन शाइन गर्ल्स डिग्री कालेज, पांती जैगहा, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शिक्षाशस्त्र, भूगोल व चित्रकला विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/621
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
सन्तबूला छोटू यदुवंशीय महाविद्यालय,
भेगवा, जलालपुर, सचुई, मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **सन्तबूला छोटू यदुवंशीय महाविद्यालय, भेगवा, जलालपुर, सचुई, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/633
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
सर्वोदय महिला डिग्री कालेज,
घोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम सर्वोदय महिला डिग्री कालेज, घोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में समाजशास्त्र, गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 598
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
सरस्वती शान्ती महाविद्यालय,
रानीपुर रजमों, बिन्द्राबाजार, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **सरस्वती शान्ती महाविद्यालय, रानीपुर रजमों, बिन्द्राबाजार, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल व गृहविज्ञान विषयों / पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्षे स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों / विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ।

पत्रांक: महा सु वि वि / सम्ब0 / 2023 / 607
दिनांक 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
शारदा शान्ती महाविद्यालय,
बनकटा (बसगित), आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **शारदा शान्ती महाविद्यालय, बनकटा (बसगित), आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, हिन्दी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 646
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
शान्ती देवी महिला महाविद्यालय,
भगवानपुर, मदियापार, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **शान्ती देवी महिला महाविद्यालय, भगवानपुर, मदियापार, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र, व गृहविज्ञान में विषयों / पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/623
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
शिव प्रशिक्षण संस्थान,
जौगहाँ, शेखूपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **शिव प्रशिक्षण संस्थान, जौगहाँ, शेखूपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशस्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/635
दिनांकः 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
सर्वोदय पी0जी0 कालेज,
घोसी, मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषय में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **सर्वोदय पी0जी0 कालेज, घोसी, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शारीरिक शिक्षा** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 610
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
श्री शारदा महाविद्यालय,
खोरर्मपुर, बेलऊ, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री शारदा महाविद्यालय, खोरर्मपुर, बेलऊ, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि संकाय में शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/630
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कालेज,
मईखरगपुर, उबारपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कालेज, मईखरगपुर, उबारपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत–एम0काम0 पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/648
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
शिवशक्ति महिला महाविद्यालय,
कमालपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **शिवशक्ति महिला महाविद्यालय, कमालपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, उर्दू, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/622
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्याम करन स्मारक महाविद्यालय,
सैफपुर उर्फ बाजनपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्याम करन स्मारक पी0जी0 कालेज, सैफपुर उर्फ बाजनपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/629
दिनांकः 20.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
श्यामसुन्दरी महिला महाविद्यालय,
दुबारी (मोलनापुर), मऊ।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्यामसुन्दरी महिला महाविद्यालय, दुबारी (मोलनापुर), मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/631
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,
प्रबन्धक,
सीताराम रामानन्द स्मारक महाविद्यालय,
समेंदा, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम सीताराम **रामानन्द स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, समेंदा, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, भूगोल, हिन्दी विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 602
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्यामबिहारी लालचन्द्र महाविद्यालय,
आजमपुर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्यामबिहारी लालचन्द्र महाविद्यालय, आजमपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, व गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित में विषयों / पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 641
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
सर्वोदय पी0जी0 कालेज,
घोसी, मऊ।

विषय– महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के कृषि पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **सर्वोदय पी0जी0 कालेज, घोसी, मऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में बी0एस–सी कृषि पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी चार वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2– 2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/660
दिनांकः 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वामी सहजाननद सरस्वती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान,
जिवली, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **स्वामी सहजाननद सरस्वती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, जिवली, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांकः महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/608
दिनांकः 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
अल्ट्रा माडर्न गर्ल्स डिग्री कालेज,
मेंहनगर, आजमगढ़।

विषय– **महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **अल्ट्रा माडर्न गर्ल्स डिग्री कालेज, मेंहनगर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों** में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षो के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner